भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 349
दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

डिजिटलगवर्नेंस उपकरण और एआई/एमएल अनुप्रयोग

349 श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शुरू किए गए विशिष्ट डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों और एआई/एमएल अनुप्रयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर इनका व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बिहार सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पंचायती राज संस्थाएं डिजिटल गवर्नेंस में पिछड़ रही हैं, इसी प्रकार की क्षमता निर्माण पहलों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायतीराज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंहबघेल)

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना(एमएमपी) लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल शासन उपकरणों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई) को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाकर उन्हें मज़बूत बनाना है। इस पहल के अंतर्गत एक प्रमुख अनुप्रयोग ई-ग्रामस्वराज है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की योजना, बजट, लेखांकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसके अतिरिक्त, ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करने से विक्रेताओं और सेवाप्रदाताओं को रीयल-टाइम भुगतान संभव हुआ है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय(MoPR) ने पंचायती राज संस्थाओं(PRI) के लिए बहुभाषी पहुँच बढ़ाने हेतु भाषिणी को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। इस एकीकरण का उद्देश्य पोर्टल के लिए निर्बाध भाषा अनुवाद प्रदान करना है, जिससे पंचायत पदाधिकारियों और नागरिकों को अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल समावेशी शासन के लिएAI-आधारित भाषा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के सरकार के विज़न के अनुरूप है। वर्तमान में भाषिनी, AI-संचालित अनुवाद के माध्यम से भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में सहायता करता है।

(ख) पंचायत स्तर पर इन उपकरणों का व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर ई-ग्रामस्वराज मंच का निरंतर संवर्धन किया जा रहा है।
2. डिजिटल उपकरणों और मंचों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
3. जमीनी स्तर पर डिजिटल साक्षरता और मंच अपनाने में सुधार के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से परस्पर सहायता और नियमित कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(ग)और(घ) हाँ, सरकार द्वारा बिहार सहित विभिन्न राज्यों में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के

लिए विशेष पहल की गई है। मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) की पुनः संरचित केन्द्र प्रायोजित योजना को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, बिहार सहित, में लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई) को सशक्त बनाना है, जिसके अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पुनः संरचित आरजीएसए योजना के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या परिशिष्ट में प्रदान की गई है।

***

अनुलग्नक

'डिजिटलगवर्नेंस उपरकण और एआई/एमएलअनुप्रयोग' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **349** के भाग(ग) और(घ) जिसका उत्तर दिनांक **22.07.2025** को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित **अनुलग्नक।**

क्रम संख्या	**राज्य**	**वर्ष2024-25** केदौरान **प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5221
2	आंध्र प्रदेश	325643
3	अरुणाचल प्रदेश	12344
4	असम	144936
5	बिहार	435896
6	छत्तीसगढ़	90559
7	दादरा और नगर हवेली	1073
8	दमन और दीव	
9	गोवा	4519
10	गुजरात	90368
11	हरियाणा	11909
12	हिमाचल प्रदेश	120455
13	जम्मू और कश्मीर	82534
14	झारखंड	135817
15	कर्नाटक	321380
16	केरल	129632
17	लद्दाख	26
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	242279
20	महाराष्ट्र	363111
21	मणिपुर	195
22	मेघालय	78537
23	मिजोरम	9841
24	नगालैंड	4725

25	ओडिशा	279505
26	पुद्दुचेरी	0
27	पंजाब	122848
28	राजस्थान	71795
29	सिक्किम	6709
30	तमिलनाडु	78490
31	तेलंगाना	1701
32	त्रिपुरा	54228
33	उत्तराखंड	22342
34	उत्तर प्रदेश	76302
35	पश्चिम बंगाल	228081
कुल		**35,53,001**

***